FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी   मुकाम जहाजपुर

भगवान पिता अरजन बैरवा नि. झालरा .... बनाम महावीर पिता अरजन बैरवा नि. झालरा ......

किस्म मुकदमा ....88, 89, 92 RTA........ नं. ....90.... सन् ...2021....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
28/10/21	पत्रावली प्रस्तुत रीडर के संग मुलाहिजा में पेश हुई। प्रकरण पुकार करवाया गया। वादी मय अधिवक्ता के उपस्थित। प्रतिवादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित हो हस्ताक्षर जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में बताया गया कि ग्राम झालरा में स्थित आ. नं. 127/3 रकबा 1.0800 हे. भूमि वादी भगवान व प्रतिवादी छाऊ, सीता व नन्दु के नाम दर्ज कर दी जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। वादी का वाद पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि उनके नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे। वकील वादी व प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया की वादी के पिता व प्रतिवादी नं. 1, 3, 4 के पिता एवं प्रति. नं. 2 के पति का नाम व पिता का नाम एक ही होने के कारण उक्त आराजी नं. 127/3 को राजस्व अधिकारियों ने भूलवश वादी के पिता के खाते के बजाय प्रतिवादी नं. 1, 3, 4 के पिता व प्रति. नं. 2 के पति के खाते में दर्ज कर दिया गया, किन्तु मौके पर भूमि वादी का ही कब्जा काश्त एवं उपभोग उपभोग चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजी को प्रतिवादी नं. 1, 3, 4 के पिता व प्रतिवादी नं. 2 के पति के खाते से हटाकर वादी व प्रतिवादी नं. 5 से 7 के खाते में दर्ज करा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।	भगवान Identified here Advocate नि. महावीर नि. अलोल नि. लाडी नि. [illegible]

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशल्य,जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	मैंने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वाद अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के पिता व प्रतिवादी सं. 1,3,4 के पिता व प्रति. सं 2 के पति का नाम व पिता का नाम एक ही होने के कारण उक्त आराजी सं. 127/3 को राजस्व अधिकारियों ने भूलवश वादी के पिता के खाते के बजाय प्रतिवादी सं. 1,3,4 के पिता व प्रतिवादी सं. 2 के पति के खाते में दर्ज हो गई। प्रतिवादी सं. 1,2,3,4 द्वारा एक बाबत इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत कर उक्त भूमि को वादी व प्रतिवादी सं. 5,6,7 के खाते में दर्ज किये जाने बाबत सहमति प्रदान की है। जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि ग्राम खालसा प. ह. बेरी तहसील जहाजपुर की आ. नं. 127/3 कुल किता 1 रकबा 1.08 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 4 के स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं. 5, 6, 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री मुरत्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-2 वहन करें। निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (भीलवाड़ा)	

Scanned with CamScanner